[2022] 1 एस. सी. आर 950

PHOENIX ARC प्राइवेट लिमिटेड

वी.

विश्व भारती विद्या मंदर और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 257-259 2022 का)

12 जनवरी, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सरफेसीः बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक-गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बैंक के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं के खातों ने यू/एस नोटिस जारी किया। 13 (2) - अपीलार्थी के पक्ष में बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं का एन. पी. ए. खाता-ऋणकर्ता बकाया चुकाने में विफल रहे-अपीलार्थी ने पत्र जारी किया

उधारकर्ताओं को सूचित करना कि वे 15 दिनों की समाप्ति के बाद गिरवी रखी गई संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए आगे बढ़ेंगे।

उक्त पत्र की तारीख-उक्त संचार/पत्र दिनांक 13.08.2015 के खिलाफ, उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं कि संचार/पत्र दिनांक 13.08.2015 एस के तहत एक कब्जा नोटिस था। 13 (4) सरफेसी अधिनियम, जो सुरक्षा हित के खिलाफ था

(प्रवर्तन) नियम, 2002 उच्च न्यायालय ने रिट पर विचार किया

अपीलार्थी के खिलाफ Art.226 के तहत याचिकाएं दायर की गईं और इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. कार्रवाई (सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा)-तत्काल अपीलों में, अपीलार्थी का मामला यह था कि संचार दिनांकित था।

13.08.2015 एस के तहत नोटिस नहीं कहा जा सकता है। 13 (4) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का; कि एस के तहत नोटिस के बाद। 13 (2) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा वर्ष 2013 में जारी की गई थी और उसके बाद स्वीकृति पत्र दिनांक 27.02.2015 के बावजूद, आगे कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए, उधारकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

एस के तहत। 13 (4) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का प्रस्ताव किया गया था और इसलिए, एस. के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिकाएं। 13 (4) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का रखरखाव योग्य और/या मनोरंजन योग्य बिल्कुल नहीं थाः एस के तहत उपलब्ध वैधानिक उपचार को ध्यान में रखते हुए। 17 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत नोटिस के खिलाफ रिट याचिकाएं। 13 (4) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम पर उच्च

न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं थी-इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने में गलती की

950 PHOENIX ARC PVT। लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

दिनांकित 13.08.2015 संचार के खिलाफ रिट याचिकाएं और पूर्व-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम आदेशों को भी पारित करने का निर्देश देते हुए

ऋणकर्ताओं को रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की शर्त पर सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति। 1 केवल करोड़ में

उच्च न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सभी 3 करोड़ रुपये-दिनांकित अंतरिम आदेश 26.08.2015) लगभग 1 करोड़ रुपये के कुल बकाया के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष ऋणकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करना और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है-उच्च न्यायालय ने शुरू में एक एकतरफा अंतरिम आदेश दिया है और बिना कोई कारण बताए-उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि इस तरह का अंतरिम आदेश पारित करके, देय और देय राशि की वसूली के लिए सुरक्षित लेनदार के अधिकारों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया गया है।

समनुदेशक को ऋणकर्ताओं से देय और देय राशि की वसूली करने का अधिकार है-उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक का सुरक्षित लेनदार/समनुदेशक की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा-इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में रोक लगाते समय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए थी।

लेखन अधिकार क्षेत्रः निजी वित्तीय संस्थान के खिलाफ याचिका लिखें-भारत के संविधान के Art.226 के तहत अपीलार्थी

एस के तहत प्रस्तावित कार्रवाई/कार्रवाई के खिलाफ। 13 (4) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम-आयोजित की रखरखावः बनाए रखने योग्य नहीं है-तत्काल

मामला, अपीलार्थी ने इसके तहत कार्रवाई/कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया एक सुरक्षित लेनदार के रूप में उधार ली गई राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम-अपीलार्थी को सार्वजनिक रूप से कार्य करने वाला नहीं कहा जा सकता है

ऐसे कार्य जो आम तौर पर राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है-एक वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान और अनुबंध के तहत, बैंक/अपीलार्थी ने उधारकर्ताओं को धन उधार दिया और इसलिए बैंक/अपीलार्थी की उक्त गतिविधि

यदि कार्यवाही एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत शुरू की जाती है और/या कोई प्रस्तावित कार्रवाई की जानी है और उधारकर्ता निजी बैंक/बैंक की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है, तो उधारकर्ता को इसका लाभ उठाना होगा।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत उपचार और कोई रिट याचिका निहित नहीं होगी और/या बनाए रखने योग्य और/या मनोरंजक नहीं होगी-एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम।

[20

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह मानते हुए कि 13.08.2015 दिनांकित संचार को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक नोटिस कहा जा सकता है, उस मामले में भी, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपचार को देखते हुए, इसके खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत नोटिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिनांकित आई. डी. 1 के खिलाफ रिट याचिकाओं पर विचार करने और इस शर्त पर सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करने में गलती की है।

उधारकर्ताओं को रुपये का भुगतान करने का निर्देश देना। 1 केवल करोड़ (कुल रु। 3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों को देखते हुए करोड़

लगभग Rs.117 करोड़ के कुल बकाया के खिलाफ एकपक्षीय विज्ञापन-दिनांकित 26.08.2015 के अंतरिम आदेश का विस्तार। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय को भी एकतरफा अंतरिम राहत को खाली करने के लिए आवेदन पर विचार करना चाहिए था और उसका निपटारा करना चाहिए था, जो इस तथ्य पर विचार करते हुए वर्ष 2016 में जल्द से जल्द दायर किया गया था कि

रु. 117 करोड़ शामिल थे। [पैरा 10] [966-डी-जी]

जे. राजीव सुब्रमण्यन और अन्र। वी. पांडियास और ओआरएस। (2014) 5 एस. सी. सी. 651 [2014] 3 एस. सी. आर. 1140-संदर्भित।

2. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निजी वित्तीय संस्थान के खिलाफ एक रिट याचिका-के तहत अपीलकर्ता

प्रस्तावित के विरुद्ध भारत के संविधान का अनुच्छेद 226

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई/कार्रवाई को विचारणीय नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान मामले में, एआरसी

एक सुरक्षित लेनदार के रूप में उधार ली गई राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव। ए. आर. सी. को सार्वजनिक कार्य करने वाला नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है। इस दौरान

वाणिज्यिक लेन-देन के क्रम में और अनुबंध के तहत, बैंक/ए. आर. सी. ने इसमें उधारकर्ताओं को धन उधार दिया और इसलिए बैंक/ए. आर. सी. की उक्त गतिविधि को सार्वजनिक कार्य करने के रूप में नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है। यदि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है और/या कोई प्रस्तावित कार्रवाई पी. ओ. एन. आई. एक्स. ए. आर. सी. पी. वी. टी. होनी चाहिए।

लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

लिया गया और उधारकर्ता निजी बैंक/बैंक/ए. आर. सी. की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है, उधारकर्ता को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाना होगा और कोई रिट याचिका नहीं होगी और/या

रखरखाव योग्य और/या मनोरंजक। [पैरा 12] [967-बी-ई]

प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम। श्री सी. ए. इमान्युअल और अन्य। (1969) 1 एस. सी. सी. 585 [1969] 3 एस. सी. आर. 773; रमेश अहलूवालिया बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। (2012) 12 एस. सी. सी. 331 [2012] 12 एस. सी. आर. 325 को लागू नहीं किया गया।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा रिट याचिकाएं दायर करना एक

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग। धारा 13 (4) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। यह मानते हुए भी कि 13.08.2015 दिनांकित संचार धारा 13 (4) के तहत एक नोटिस था, उस मामले में भी, वैधानिक को देखते हुए,

सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील के माध्यम से उपलब्ध प्रभावी उपाय, उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया

रुपये के भुगतान पर सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा। 1 केवल करोड़ (कुल रु। 3 करोड़) बिल्कुल अनुचित है। बकाया लगभग Rs.117 करोड़ की सीमा तक है। विज्ञापन-अंतरिम राहत 2015 से जारी है और सुरक्षित लेनदार है

के तहत कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने से वंचित

सरफेसी अधिनियम। उच्च न्यायालय के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करना और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने शुरू में यांत्रिक रूप से और बिना कोई कारण बताए एक एकतरफा अंतरिम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करके, देय और देय राशि की वसूली के लिए सुरक्षित लेनदार के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। सुरक्षित लेनदार और/या उसके समनुदेशक को ऋण की वसूली करने का अधिकार है।

ऋणकर्ताओं से देय और देय राशि। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक का इस पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

सुरक्षित लेनदार/समनुदेशक की वित्तीय स्थिति। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में रोक लगाते समय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए थी। [पैरा 13.2] [968-जी-एच; 969-ए-डी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[20
22] 1 एस.

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और ओआरएस। , (2010) 8 एससीसी 110 [2010] 9 एससीआर 1; महाप्रबंधक, श्री

सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. इकबाल

& ओआरएस। (2013) 10 एससीसी 83 [2013] 8 एससीआर 532;

कनैयालाल लालचंद सचदेव और अन्य। वी. की स्थिति महाराष्ट्र और ओआरएस। , (2011) 2 एससीसी 782: [2011] 2

एस. सी. आर. 602; अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

& एन. आर. वी. मैथ्यू के. सी. (2018) 3 एससीसी 85: [2018] 1

एस. सी. आर. 233; शहर और औद्योगिक विकास निगम। वी.

दोसू आर्देशिर भिवंडीवाला (2009) 1 एस. सी. सी. 168:

[2008] 16 एस. सी. आर. 28; साधना लोध बनाम। राष्ट्रीय

बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. (2003) 3 एससीसी 524: [2003]

1 एस. सी. आर. 567; सूर्य देव राय बनाम। राम चंदर राय और

ओआरएस। (2003) 6 एससीसी 675: [2003] 2 पूरक। एससीआर 290 - पर भरोसा किया।

अग्रवाल ट्रैकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम। पंजाब नेशनल

बैंक और अन्य। , (2018) 1 एससीसी 626: [2017] 11 एससीआर 164; राधा कृष्णन इंडस्ट्रीज बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य

& ओआरएस। (2021) 6 एस. सी. सी. 771; मैथ्यू वर्गीज बनाम। एम.

अमृता कुमार और अन्य। (2014) 5 एससीसी 610: [2014] 2

एस. सी. आर. 736; यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम। बैंक ऑफ इंडिया

और ओआरएस। (1981) 2 एससीसी 766: [1981] 3 एससीआर 300; राज्य

बैंक ऑफ इंडिया बनाम संबद्ध रासायनिक प्रयोगशालाएँ और ए. एन. आर.

(2006) 9 एस. सी. सी. 252 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 9 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.5

[2011] 2 एससीआर 602

पै

रा 4.5

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर 532

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.5

[2017] 11 एससीआर 164

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.5

[2018] 1 एससीआर 233

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.5

(2021) 6 एस. सी. सी. 771

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.5

[2014] 3 एससीआर 1140

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.

[1969] 3 एससीआर 773

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 5.2

अप्रयोज्य रखा गया

[2012] 12 एस. सी. आर. 325

पैरा 5.2 फीनिक्स एआरसी पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

[2014] 2 एससीआर 736

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.5

[1981] 3 एससीआर 300

पै

रा 5.7

संदर्भित किया गया है

[2008] 16 एससीआर 28

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.4

[2003] 1 एससीआर 567

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.5

[2003] 2 पूरक। एससीआर 290

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.5

(2006) 9 एस. सी. सी. 252

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.5

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 257

259 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 27.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की रिट याचिका Nos.35564-66 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुरेश दत्त डोभाल, शिखर कुमार, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी।

बसवप्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गीत आहूजा, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. दिनांकित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

27.03.2018 बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका संख्या में पारित। 35564-35566 2015 का, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपरोक्त रिट याचिकाओं पर विचार किया है, एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. कार्रवाई (सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा) के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है, मूल प्रतिवादी-परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए. आर. सी.) ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. कि विश्व भारती विद्या मंदिर में प्रतिवादी संख्या 1

यह शैक्षणिक संस्थान चला रहा है और कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है जिसने 500 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था। 105,60,84,000 / - (सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से एक सौ पाँच करोड़ साठ लाख और केवल चौरासी हजार रुपये)। इसी तरह, सेंट एन एजुकेशन सोसाइटी ने भी उपरोक्त बैंक से Rs.20,05,00,000/- (केवल बीस करोड़ रुपये और पाँच लाख रुपये) की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त ऋण सुविधाओं के उचित पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए, विभिन्न ऋण/प्रतिभूति दस्तावेज संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा निष्पादित, जिसमें बैंक के पक्ष में व्यक्तिगत गारंटी भी शामिल है। उत्तरदाताओं ने एक न्यायसंगत बंधक भी बनाया

अचल संपत्तियों पर स्वामित्व विलेख जमा करने के माध्यम से गिरवी रखी गई संपत्तियों का सम्मान करना। ऐसा प्रतीत होता है कि बकाया राशि के पुनर्भुगतान में उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं द्वारा किए गए चूक के कारण

अप्रैल, 2013 के महीने में, ऋणकर्ताओं/उत्तरदाताओं के खाते को बैंक द्वारा "गैर निष्पादित परिसंपत्ति" (एन. पी. ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि उधारकर्ता/उत्तरदाता बैंक के बकाया भुगतान करने में विफल रहे और उनकी उपेक्षा की गई, इसलिए बैंक ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 01.06.2013 पर एक नोटिस जारी किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्च, 2014 के महीने में, उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं के एन. पी. ए. खाते को उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपीलकर्ता-फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 28.03.2014 के पंजीकृत असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौंपा गया था।

2.2 अपीलार्थी के पक्ष में एन. पी. ए. खाते के समनुदेशन के अनुसार, उधारकर्ताओं ने बकाया देय राशि के पुनर्भुगतान के पुनर्गठन के अनुरोध के साथ अपीलार्थी से संपर्क किया। पार्टियों के बीच दिनांकित 27.02.2015 का एक स्वीकृति पत्र निष्पादित किया गया था, जिसमें

उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया और पूरे बकाया को चुकाने के दायित्व को स्वीकार किया। हालांकि, उधारकर्ता स्वीकृति पत्र के अनुसार बकाया चुकाने में विफल रहे।

ऋणकर्ताओं को सूचित करते हुए 13.08.2015 दिनांकित एक पत्र जिसमें कहा गया है कि चूंकि 13 (2) दिनांकित 01.06.2013 का नोटिस जारी करने और उसके बाद दिनांकित 27.02.2015 के स्वीकृति पत्र के निष्पादन के बावजूद, ऋणकर्ता बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए, अपीलकर्ता उक्त पत्र की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद गिरवी रखी गई संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए आगे बढ़ेगा। 2.4 उपर्युक्त संचार/दिनांकित 13.08.2015 पत्र के खिलाफ, उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं ने इसके समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं

उच्च न्यायालय इस आधार पर कि संचार/पत्र दिनांकित 13.08.2015

यह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक कब्जे का नोटिस है, जो सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के खिलाफ है।

2.5 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उक्त कब्जे का नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "नियम, 2002" के रूप में संदर्भित) के नियम 8 (1) का उल्लंघन है और नियम 8 (1) के तहत कब्जे का नोटिस जारी किए बिना और इसके प्रकाशन के बिना। नियम 8 (2) के तहत आवश्यकतानुसार दो प्रमुख समाचार पत्रों में कब्जे की सूचना। उच्च न्यायालय ने 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने वाले उधारकर्ताओं के अधीन गिरवी रखी गई संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए एक एकतरफा अंतरिम आदेश पारित किया। 1 अपीलार्थी-फीनिक्स के साथ रु।

2.6 अपीलार्थी द्वारा रिट याचिकाओं पर आपत्तियों का बयान दायर करके याचिका का विरोध किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि पत्र

दिनांक 13.08.2015 के रूप में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक उपाय है और यह केवल अपीलार्थी द्वारा की जाने वाली एक प्रस्तावित कार्रवाई/उपाय था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं। कि अपीलकर्ताओं ने एक दायर किया

2016 का आई. ए. सं. 1 पूर्व-पक्षीय विज्ञापन अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2015 की छुट्टी के लिए आवेदन है। हालाँकि, अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के बजाय, उच्च न्यायालय ने 28.02.2017 पर अंतरिम आदेश को इस शर्त पर बढ़ा दिया कि उधारकर्ता 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करेंगे। साथ ही, अपीलार्थी ने ऋणकर्ताओं के खिलाफ दो अलग-अलग मूल आवेदन भी दायर किए।

बकाया राशि की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बैंगलोर। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने फिर से 27.03.2018 के आदेश के माध्यम से 26.08.2015 के पूर्व-पक्षीय अंतरिम-आदेश को इस शर्त पर बढ़ा दिया कि उधारकर्ता रुपये की एक और राशि जमा करें। 1 एक करोड़।

2.7 उपरोक्त अंतरिम से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

अंतरिम आदेशों के आदेश/विस्तार और रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता-फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। 3. श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, संबंधित अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए हैं और श्री बसवप्रभु एस. पाटिल, विद्वान

वरिष्ठ अधिवक्ता मूल रिट याचिकाकर्ताओं-उधारकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं।

4. अपीलार्थी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में उधारकर्ता अपीलार्थी-एआरसी/सुरक्षित लेनदार को एक [2022] 1 एस. सी. आर. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

Rs.117,31,68,487/- की राशि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि देय और देय राशि की वसूली के लिए, शुरू में वर्ष 2003 में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था और इसलिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद देय राशि को स्वीकार करने और देय और देय भुगतान करने के लिए सहमत होने के बावजूद, उधारकर्ता देय और देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अपीलार्थी ने सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा और इसलिए दिनांक 13.08.2015 के संचार के माध्यम से, उधारकर्ताओं को बुलाया गया था

15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, तकनीकी रूप से बोलते हुए, उस स्तर पर दिनांकित 13.08.2015 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत नोटिस नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त और उपचार और/या विचार करने के बावजूद एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जे के नोटिस के रूप में 13.08.2015 दिनांकित संचार, उधारकर्ताओं ने 13.08.2015 दिनांकित संचार के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं पर विचार किया है, हालांकि अपीलकर्ता-एआरसी जैसे निजी पक्ष के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं है और एक एकतरफा अंतरिम आदेश दिया है, जिसे बढ़ा दिया गया है।

समय-समय पर अल्प राशि के भुगतान पर बंधक संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देना। से रु. 1 करोड़ (कुल रु। लगभग Rs.117 करोड़ के कुल बकाया के मुकाबले केवल 3 करोड़)।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह निजी के खिलाफ रिट याचिकाएं

पक्षकार-ए. आर. सी. और वह भी सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव करने वाले संचार के खिलाफ बिल्कुल भी कायम नहीं रहेगा, और इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसी रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था और उधारकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए थी, जो देय और देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, जो लगभग Rs.117 करोड़ है।

4.2 यह अपीलार्थी-ए. आर. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरि द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि

13.08.2015 दिनांकित संचार को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक कार्रवाई के रूप में माना जाता है, उस मामले में भी, उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय धारा 17 के तहत अपील के माध्यम से था।

सरफेसी अधिनियम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य नहीं होंगी और वह भी निजी एआरसी के खिलाफ।

PHOENIX ARC PVT। लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर [एम. आर. शाह, जे.]

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं की है

कि इस प्रकार किसी निजी पक्ष के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था और

अपीलार्थी की तरह एक गैर-राज्य अभिनेता-फीनिक्स एआरसी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं होंगी और वह भी एक निजी पक्ष के खिलाफ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल रिट याचिकाओं पर विचार किया है, बल्कि एक एकतरफा अंतरिम आदेश भी पारित किया है, जो समय-समय पर एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. कार्रवाई (सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा) के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप प्रभावी रूप से सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकतरफा अंतरिम राहत को खाली करने के लिए आवेदन (ओं) के बावजूद, उच्च न्यायालय ने

इस शर्त पर कि उधारकर्ता केवल 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करें, दिनांक 26.08.2015 का एकतरफा अंतरिम आदेश।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 1 के बाद के आदेश में भी, हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि "हालांकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील दावे की प्रकृति का उल्लेख करना चाहते हैं और तर्क देते हैं कि की गई मांग उचित नहीं होगी, उक्त

वर्तमान प्रकृति की रिट याचिका पर विचार नहीं होगा ", फिर भी उच्च न्यायालय ने एकतरफा अंतरिम आदेश की तारीख बढ़ा दी है

26.08.2015 यह देखते हुए कि "याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के साथ मामले को निपटाना आवश्यक है"। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय मुख्य रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने में बिल्कुल भी उचित नहीं है और वह भी एक निजी पक्ष के खिलाफ और विशेष रूप से, जब सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई के खिलाफ, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत एक अपील बनाए रखने योग्य होगी और इसे दायर करने की आवश्यकता है।

4.5 अपीलार्थी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरि ने निम्नलिखित निर्णयों के समर्थन में भरोसा किया है - प्रस्तुत करना कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य नहीं हैं:

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य। , (2010) 8 एस. सी. सी. 110; कनैयालाल लालचंद सचदेव और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , (2011) 2 एस. सी. सी. 782; महाप्रबंधक, श्री सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड और एन. आर. बनाम इकबाल और अन्य। , (2013) 10 एस. सी. सी. 83; अग्रवाल ट्रैकॉम [2022] 1 एस. सी. आर.

प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य। , (2018) 1 एस. सी. सी. 626; अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड ए. एन. आर. बनाम मैथ्यू के. सी. , (2018) 3 एस. सी. सी. 85; और राधा कृष्णन इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। ,

(2021) 6 एससीसी 771।

4.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि दिनांकित [आई. डी. 1] के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं को गैर-रखरखाव योग्य बताते हुए खारिज कर दिया जाए।

5. मूल उधारकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसवप्रभु एस. पाटिल ने जोर देकर कहा है कि

वर्तमान अपील द्वारा पारित विज्ञापन अंतरिम आदेश/अंतरिम आदेश के खिलाफ हैं। उच्च न्यायालय और मुख्य रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश दिनांक 06.08.2018 के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी गई है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब मुख्य रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होती हैं, तो वर्तमान अपीलों पर आगे विचार नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि 06.08.2018 के बाद से उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के संचालन पर रोक है, इसके बाद अपीलार्थी द्वारा सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उधारकर्ताओं के खिलाफ आगे कोई कदम नहीं उठाया गया है।

5.1 अब, जहाँ तक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए. आर. सी.) के खिलाफ रिट याचिका की रखरखाव का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है।

सुरक्षित लेनदार-ए. आर. सी. प्रतिभूति के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष रूप से कार्य करता है ताकि उधारकर्ता के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जनता (जमाकर्ताओं) के हितों को सुरक्षित किया जा सके। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, जे. राजीव सुब्रमण्यन के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है और एन. आर. बनाम पांडिया और अन्य। , (2014) 5 एससीसी 651। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ए. आर. सी. ने उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया है और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है, इस तरह की अवैध कार्रवाई के खिलाफ ए. आर. सी. के खिलाफ एक रिट होगी।

5.2 ऋणकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पाटिल ने भी इस मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है -

प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम। श्री सी. ए. इमान्युअल और अन्य। , (1969)

PHOENIX ARC PVT। लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

[एम. आर. शाह, जे.]

1 एस. सी. सी. 585 और रमेश अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य और अन्य। , (2012) 12 एस. सी. सी. 331 उनके इस निवेदन के समर्थन में कि एक विशुद्ध रूप से निजी निकाय के खिलाफ भी, लेकिन सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए, जो आम तौर पर राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है, एक रिट होगी -

बनाए रखने योग्य।

5.3 अब, जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन है कि यह मानते हुए कि 13.08.2015 दिनांकित संचार को अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक सरफेसी कार्रवाई कहा जा सकता है, उधारकर्ताओं को धारा 17 के तहत एक अपील को प्राथमिकता देनी थी और इसलिए, रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी और/या उस पर विचार करने की आवश्यकता है, यह उधारकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पाटिल द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि केवल वैकल्पिक उपाय के आधार पर, रिट याचिका को बाधित नहीं किया जाएगा।

नियम, 2002 के नियम 8 (1) में कहा गया है कि जहां सुरक्षित संपत्ति अचल संपत्ति है, वहां सुरक्षित लेनदार का अधिकृत अधिकारी उक्त नियमों के परिशिष्ट-IV में यथासंभव लगभग तैयार किए गए कब्जे की सूचना उधारकर्ता को देकर और संपत्ति के बाहरी दरवाजे पर या विशिष्ट स्थान पर कब्जे की सूचना चिपकाकर उसे ले जाएगा या उसे अपने कब्जे में ले लेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नियमों के नियम 8 (2) में यह भी आदेश दिया गया है कि उक्त कब्जे का नोटिस जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, लेकिन किसी भी मामले में कब्जा करने की तारीख से 7 दिनों के बाद, दो प्रमुख समाचार पत्रों में, एक स्थानीय भाषा में, जिसका उस इलाके में अधिकृत द्वारा पर्याप्त प्रसार हो।

अधिकारी। 5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि उसने अधिनियम की धारा 13 (4) के संदर्भ में कोई उपाय किया हो।

सरफेसी अधिनियम। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन दायर करने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी उपाय के खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत उपाय तत्काल मामले में उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 2002 के नियम 8 (1) और 8 (2) का कोई अनुपालन नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय ने मैथ्यू वर्गीज बनाम एम. के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अमृता कुमार और अन्य। , (2014) 5 एस. सी. सी. 610 नियम 8 और 9 के विस्तृत विश्लेषण पर कि इसका पालन किए बिना की गई कोई भी बिक्री असंवैधानिक होगी और इसलिए, अमान्य होगी। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं पर उचित रूप से विचार किया है।

5.7 यह आगे श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं-उधारकर्ता जो अन्यथा भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ हैं, उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। यूनाइटेड के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया है।

5.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी वर्तमान मामले में, बाद में, अपीलार्थी ने धारा 19 के तहत सहारा लिया है ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष 2017 की ओ. ए. संख्या 715 दाखिल करके बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली,

बेंगलुरु और उक्त न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश पारित कर उधारकर्ताओं को सभी द्वारा एकत्र किए जाने वाले शुल्क को जमा करने का निर्देश दिया है। सोसायटी द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान-शैक्षणिक वर्ष के लिए उधारकर्ता

2017-2018 बैंक में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उधारकर्ताओं को उधारकर्ताओं/उत्तरदाताओं की कुछ संपत्तियों को बेचने, स्थानांतरित करने, अलग करने या अन्यथा उनसे निपटने से रोकने के लिए एक और अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी का हित पूरी तरह से संरक्षित है और इसके लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा।

अपीलार्थी यदि रिट याचिकाओं पर अंततः उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है।

5.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में।

7. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, उत्तरदाता-उधारकर्ता जिनके खातों को घोषित किया गया है वर्ष 2013 में एन. पी. ए. ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत इसे नोटिस बताते हुए दिनांकित आई. डी. 1 को चुनौती दी गई है। यह PHOENIX ARC PVT होना आवश्यक है।

लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

[एम. आर. शाह, जे.]

दिनांक 13.08.2015 के संचार में, उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है कि उधारकर्ता रुपये जमा करें। 1 केवल एक करोड़। तथ्य के बावजूद कि बाद में 2016 में एकतरफा अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है और उसका निपटारा नहीं किया गया है। इसके विपरीत,

इसके बाद उच्च न्यायालय ने 26.08.2015 दिनांकित एकतरफा अंतरिम आदेश को इस शर्त पर आगे बढ़ा दिया कि उधारकर्ताओं को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी चाहिए। 1 एक करोड़। इस प्रकार, सभी उधारकर्ताओं को रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाता है। 3 केवल लगभग Rs.117 करोड़ के बकाया के विरुद्ध।

7.1 यह अपीलार्थी की ओर से मामला है कि 13.08.2015 दिनांकित संचार के खिलाफ रिट याचिकाएं आगे बढ़ने का प्रस्ताव करती हैं।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई और वह भी एक निजी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए. आर. सी.) के खिलाफ कार्रवाई बनाए रखने योग्य नहीं होगी। अपीलार्थी की ओर से यह भी मामला है कि यह मानते हुए कि 13.08.2015 दिनांकित संचार को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक नोटिस कहा जा सकता है, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील के माध्यम से उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचार को देखते हुए, उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था। 7.2 तत्काल मामले में उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं की रखरखाव और/या मनोरंजन के संबंध में मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर विद्वान वरिष्ठ द्वारा भरोसा किया गया।

7.3 सत्यवती टंडन एंड ओआरएस के मामले में। (ऊपर), इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया था कि एक के लिए उपलब्ध उपचार धारा 13 (4) या धारा के तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ व्यथित व्यक्ति

14 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील को त्वरित और प्रभावी दोनों कहा जा सकता है। के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका की रखरखाव या मनोरंजन पर भारत में, ऐसे मामले में जहां पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रभावी उपाय उपलब्ध है, यह पैराग्राफ 43 से 46 में उक्त निर्णय में निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया है:

" 43. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस तय किए गए कानून की अनदेखी की कि उच्च न्यायालय आम तौर पर [2022] 1 एस. सी. आर. के तहत एक याचिका पर विचार नहीं करेगा।

संविधान का अनुच्छेद 226 यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध है और यह नियम करों, उपकर, शुल्क, अन्य प्रकार के सार्वजनिक धन और बैंकों और अन्य वित्तीय बकाया की वसूली से जुड़े मामलों में अधिक सख्ती से लागू होता है।

संस्थाएं। हमारे विचार में, सार्वजनिक बकाया आदि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बकाया की वसूली के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून अपने लिए एक संहिता हैं क्योंकि उनमें न केवल बकाया की वसूली के लिए व्यापक प्रक्रिया शामिल है, बल्कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के निवारण के लिए अर्ध-न्यायिक निकायों के गठन की भी परिकल्पना की गई है। इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार का लाभ उठाने से पहले, एक व्यक्ति को संबंधित क़ानून के तहत उपलब्ध उपचारों का उपयोग करना चाहिए।

44. उपरोक्त विचार व्यक्त करते हुए, हम इस बात से अवगत हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें उचित मामलों में, कोई भी सरकार, निर्देश, आदेश या रिट शामिल हैं।

भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पांच विशेषाधिकार रिट सहित बहुत व्यापक हैं और उस शक्ति के प्रयोग पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन साथ ही, हम इस न्यायालय द्वारा विकसित स्व-अधिरोपित प्रतिबंध के नियमों से अनजान नहीं हो सकते हैं, जिन्हें प्रत्येक उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। 45. यह सच है कि वैकल्पिक उपचार के समाप्त होने का नियम विवेक का नियम है न कि मजबूरी का, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर विचार करना चाहिए और इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अंतरिम आदेश पारित करना चाहिए कि याचिकाकर्ता आवेदन, अपील, संशोधन आदि दायर करके प्रभावी वैकल्पिक उपचार का लाभ उठा सकता है और विशेष कानून में उसके निवारण के लिए एक विस्तृत तंत्र शामिल है।

शिकायतें। 46. यह याद रखना चाहिए कि करों, उपकर, शुल्क आदि की वसूली के लिए राज्य और/या उसकी एजेंसियों/उपकरणों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर रूप से बाधा डालती है और उन्हें अपने संवैधानिक फीनिक्स एआरसी पी. वी. टी. का निर्वहन करने से अक्षम करती है।

लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

[एम. आर. शाह, जे.]

और नागरिकों के प्रति कानूनी दायित्व। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सुरक्षित लेनदारों के बकाया की वसूली से संबंधित मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक से ऐसे निकायों/संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो अंततः राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित होंगे। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए। बेशक, यदि याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम है कि उसका मामला बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम में उत्कीर्ण किसी भी अपवाद के भीतर आता है। अन्तरीम जिला परिषद [ए. आई. आर. 1969 एस. सी.

556] , व्हर्लपूल कॉर्प. वी. ट्रेड मार्क्स के पंजीयक [(1998) 8 एस. सी. सी. 1] और हरबंसलाल साहनिया बनाम। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन।

लिमिटेड [(2003) 2 एस. सी. सी. 107] और कुछ अन्य निर्णय, तब उच्च न्यायालय, सभी प्रासंगिक मापदंडों और जनहित पर विचार करने के बाद, एक उचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।

7.4 शहर और औद्योगिक विकास के मामले में

कॉर्प. बनाम दोसू अर्देशिर भिवंडीवाला, (2009) 1 एस. सी. सी. 168, इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 30 में यह कहा गया था कि न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस बात पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्या... (सी) याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है।

7.5 कनैयालाल लालचंद सचदेव और अन्य के मामले में।

(उपर्युक्त) साधना लोध बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्न के मामलों में इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद। , (2003) 3 एस. सी. सी. 524; सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य। , (2003) 6 एस. सी. सी. 675 और भारतीय स्टेट बैंक बनाम संबद्ध रसायन

प्रयोगशालाएँ और ए. एन. आर. , (2006) 9 एस. सी. सी. 252 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करते हुए पारित आदेश को बरकरार रखते हुए कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत एक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, यह देखा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सामान्य रूप से राहत उपलब्ध नहीं है यदि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

7.6 इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा बाद में व्यक्त किया गया है।

महाप्रबंधक, श्री सिद्धेश्वर के मामले में निर्णय

सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. (ऊपर) के साथ-साथ अग्रवाल ट्रैकॉम प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में।

8. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या तथ्यों और [2022] 1 एस. सी. आर. में।

मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय दिनांकित आई. डी. 1 के खिलाफ रिट याचिकाओं पर विचार करने और लेनदार द्वारा एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही को वस्तुतः रोकने/प्रतिबंधित करने के लिए एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करने के लिए उचित है।

9. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि इस प्रकार दिनांकित 13.08.2015 का संचार नहीं किया जा सकता है। इसे सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक नोटिस कहा जाता है। अपीलार्थी के अनुसार, वर्ष 2013 में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद और उसके बाद स्वीकार पत्र दिनांक 1 के बावजूद, कोई और राशि का भुगतान नहीं किया गया, अपीलार्थी ने उधारकर्ताओं से दो सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आह्वान किया, जिसमें विफल रहने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत आगे की कार्यवाही का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार, अपीलार्थी के अनुसार, यह एक प्रस्तावित कार्रवाई थी। इसलिए, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ दायर रिट याचिकाएं विचारणीय और/या मनोरंजन योग्य बिल्कुल नहीं थीं।

10. यह मानते हुए कि 13.08.2015 दिनांकित संचार को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक नोटिस कहा जा सकता है, उस मामले में भी, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपचार को देखते हुए और इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट मामलों में निर्धारित कानून को देखते हुए, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत नोटिस के खिलाफ रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिनांकित आईडी1 के खिलाफ रिट याचिकाओं पर विचार करने और ऋणकर्ताओं को रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की शर्त पर सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाले एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करने में गलती की है। 1 कुल अनुमानित ₹2 करोड़ के बकाया के विरुद्ध केवल ₹3 करोड़ (उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2015 को बढ़ाने के बाद के आदेशों को ध्यान में रखते हुए)। यहां तक कि उच्च न्यायालय को भी एकतरफा अंतरिम राहत को खाली करने के लिए आवेदन पर विचार करना चाहिए था और उसका निपटारा करना चाहिए था, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में जल्द से जल्द दायर किया गया था कि इसमें Rs.117 करोड़ की बड़ी राशि शामिल थी।

समर्थन में उधारकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील उनके इस निवेदन पर कि रिट याचिका विचारणीय होगी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त मामले में, PHOENIX ARC PVT की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

[एम. आर. शाह, जे.]

बैंक ने अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की रखरखाव और/या सुनवाई पर जोर नहीं दिया और इसलिए, इस न्यायालय के पास रिट याचिका की सुनवाई और/या सुनवाई पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। अतः उपरोक्त निर्णय से किसी प्रकार की सहायता नहीं होगी।

उत्तरदाता-उधारकर्ता।

12. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निजी वित्तीय संस्थान-ए. आर. सी.-के खिलाफ एक रिट याचिका के तहत अपीलकर्ता

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई/कार्रवाई के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को नहीं कहा जा सकता है।

बनाए रखने योग्य। वर्तमान मामले में, एआरसी ने एक सुरक्षित लेनदार के रूप में उधार ली गई राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है। ए. आर. सी. को सार्वजनिक कार्य करने वाला नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है। वाणिज्यिक लेन-देन के दौरान और अनुबंध के तहत, बैंक/ए. आर. सी. ने इसमें उधारकर्ताओं को धन उधार दिया और इसलिए बैंक/ए. आर. सी. की उक्त गतिविधि को सार्वजनिक कार्य करने के रूप में नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है। यदि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है और/या कोई प्रस्तावित कार्रवाई की जानी है और उधारकर्ता

निजी बैंक/बैंक/ए. आर. सी. की किसी भी कार्रवाई से व्यथित, उधारकर्ता को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाना होगा और कोई रिट याचिका नहीं दायर करनी होगी। झूठ बोलेंगे और/या बनाए रखने योग्य और/या मनोरंजक होंगे। अतः, प्राग उपकरण निगम (उपर्युक्त) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय और

रमेश अहलूवालिया (ऊपर), जिन पर उधारकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने भरोसा किया था, उधारकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं है। 13. अब, जहाँ तक उधारकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह

न्यायालय अंतरिम/अंतर्वर्ती आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मैथ्यू के. सी. (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय आवश्यक है। संदर्भित करने के लिए।

13.1 मैथ्यू के. सी. (उपर्युक्त) के मामले में छबील दास के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने और/या उस पर विचार करने के बाद

अग्रवाल (ऊपर), यह पैराग्राफ 5 में निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 5. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। आम तौर पर यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। संविधान पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है

उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, प्रकट अन्याय या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए [2022] 1 एस. सी. आर.

अदालत से। वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र निरपेक्ष नहीं है, लेकिन किसी मामले के दिए गए तथ्यों में और कानून के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए यदि सी. आई. टी. v. में देखे गए परिभाषित अपवादों के भीतर आने वाले मामलों को छोड़कर, वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं। छबील दास अग्रवाल [सी. आई. टी. बनाम. छबील दास अग्रवाल (2014) 1 एस. सी. सी.

603] , इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 611, पैरा 15)

" 15. इस प्रकार, जबकि यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार के नियम के कुछ अपवादों को मान्यता दी है, अर्थात जहां वैधानिक प्राधिकरण ने विचाराधीन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है, या

न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांत, या उन प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है जो निरस्त किए जाते हैं, या जब कोई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पारित किया जाता है, तो थानसिंह नथमल मामले में निर्धारित प्रस्ताव [थानसिंह नथमल बनाम। सुप्ट। कर विभाग, ए. आई. आर. 1964 एस. सी.

1419] , टीटाघुर पेपर मिल्स मामला [टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड v. उड़ीसा राज्य, (1983) 2 एस. सी. सी. 433] और इसी तरह के अन्य निर्णय कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार नहीं करेगा यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है या वह क़ानून जिसके तहत शिकायत की गई कार्रवाई की गई है।

शिकायत निवारण के लिए तंत्र अभी भी क्षेत्र में है। इसलिए, जब शिकायतों के निवारण के लिए कानून द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

वैधानिक व्यवस्था की उपेक्षा करना "।

13.2 मैथ्यू के. सी. (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा रिट याचिकाएं दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। धारा 13 (4) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, यह मानते हुए भी कि 13.08.2015 दिनांकित संचार धारा के तहत एक सूचना थी 13 (4) , उस मामले में भी, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील के माध्यम से उपलब्ध वैधानिक, प्रभावी उपचार को देखते हुए, उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था।

यहां तक कि PHOENIX ARC PVT भी। लिमिटेड। वी. विश्व भारती विद्या मंदर

[एम. आर. शाह, जे.]

केवल 1 करोड़ रुपये (कुल 3 करोड़ रुपये) के भुगतान पर सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पूरी तरह से अनुचित है। बकाया लगभग Rs.117 करोड़ की सीमा तक है। विज्ञापन

2015 से अंतरिम राहत जारी है और सुरक्षित लेनदार सरफेसी के तहत आगे की कार्रवाई से वंचित है।

एक्ट करें। उच्च न्यायालय के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करना और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने शुरू में यांत्रिक रूप से और बिना कोई कारण बताए एक एकतरफा अंतरिम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय को इसकी सराहना करनी चाहिए थी कि इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करके, देय और देय राशि की वसूली के लिए सुरक्षित लेनदार के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। सुरक्षित लेनदार और/या उसके समनुदेशक को उधारकर्ताओं से देय और देय राशि की वसूली करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक का सुरक्षित लेनदार/समनुदेशक के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में रोक लगाते समय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए थी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही खारिज किए जाने के योग्य है।

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान

वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है जिसमें मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अपीलार्थियों को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सीधे अपीलार्थी को भुगतान किए जाने वाले दोनों मामलों में 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है। लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है। देविका गुजराल

अ

पीलों की अनुमति दी गई।